पिछड़े क्षेत्रों में चार नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का रास्ता साफ

पिछड़े क्षेत्रों में त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत 1583 करोड़ होगा निवेश

पूर्वांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में स्थापित हो रही हैं इकाइयां, 1564 को मिलेगा रोजगार

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने कोविड काल में 1583 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव देने वाली चार नई इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इनसे 1564 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कोविड-19 महामारी के दौरान पिछले वर्ष प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में तेजी से निवेश के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 जारी की गई थी। इसके अंतर्गत कई इकाइयों ने नए निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। कैबिनेट ने इनमें से चार इकाइयों के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।

इसके अलावा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत मैसर्स [illegible] पूर्वांचल के चंदौली में एक इकाई की स्थापना कर रही है। इस इकाई की स्थापना से संबंधित [illegible] में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पर भी सहमति दे दी है।

इस तरह होगा निवेश, मिलेगा रोजगार

- [illegible] 341.20 करोड़ रुपये से निवेश कर रही है। यह जनवरी, 2023 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर देगी। इस प्रोजेक्ट से करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
- [illegible] (मेरठ) [illegible] में 381.22 करोड़ रुपये निवेश कर एक जनवरी 2023 को व्यावसायिक उत्पादन करना चाहती है। इस इकाई से 204 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
- [illegible] (हरदोई) में 725.80 करोड़ रुपये निवेश कर रहा है। कंपनी 28 मार्च 2022 तक उत्पादन शुरू कर देगी। इसे करीब 150 लोगों को रोजगार मिलेगा।
- [illegible] गोरखपुर में 134.74 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है। कंपनी एक अप्रैल, 2022 तक उत्पादन शुरू कर देगी। इससे करीब 210 लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

चार इकाइयों में निवेश पर 192 करोड़ की वित्तीय सुविधाएं मंजूर

कैबिनेट ने चार औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सुविधाएं देने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इन इकाइयों ने [illegible] एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत निवेश किया है। इनमें [illegible] में, [illegible] में तथा [illegible] में निवेश कर रही है। इन कंपनियों को निवेश पर क्रमशः 54.67, 88.74, 43.85 और 4.44 करोड़ रुपये वित्तीय सुविधाओं के रूप में स्वीकृत किए गए हैं।

निवेश से जुड़ी नीतियों में होगी नेट एसजीएसटी की व्यवस्था समाप्त

राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने तथा निवेशकों को नेट एसजीएसटी के [illegible] में कई तरह की कठिनाइयां आ रही हैं। कुछ राज्यों ने औद्योगिक निवेश नीतियों में नेट एसजीएसटी को डी-लिंक कर नई नीतियां जारी की हैं। कैबिनेट ने व्यवस्था को पारदर्शी व सरल बनाने के लिए प्रचलित नीतियों को पुनर्लिखित कर नेट एसजीएसटी से डी-लिंक करते हुए नई नीतियां जारी करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। औद्योगिक विकास विभाग नया प्रस्ताव तैयार कर आगे की कार्यवाही करेगा।